रजिस्ट्री सं० डी०(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 311] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 9, 1976/आषाढ़ 18, 1898
No. 311] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 9, 1976/ASADHA 18, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(Department of Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July 1976

S.O. 466(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with sub-section (1) (b) of section 6 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government hereby appoints Prof. B. Ramachandra Rao, till recently Head of the Department of Physics, Andhra University, to be the Vice-Chairman of the University Grants Commission for a term of three years with effect from the forenoon of 2nd June, 1976.

[No. F.16-83/75 Leg. Unit]

ANIL BORDIA, Jt. Secy.

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1976

का० सं० 460 (अ).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 6 की उपधारा (1) (ख) के साथ पढ़े जाने वाली धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा प्रो० बी० रामचन्द्र राव को, जो अब तक आंध्र विश्वविद्यालय के भौतिकी विभागाध्यक्ष थे, 2 जून, 1976 की पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि तक के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 16-83/75—लेजि० यूनिट०]

अनिल बोर्दिया, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976